



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 20, मंगलवार, साके 1934-दिसम्बर 11, 2012 Agrahayana 20, Tuesday, Saka 1934-December 11, 2012	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 11, 2012

संख्या प. 2 (22) विधि/2/2012.-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 38)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 को प्राप्त हुई]

अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण के लिए और अन्तर्वलित सम्पत्तियों के अधिहरण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः राजस्थान राज्य में लोक पद धारण करने वाले व्यक्तियों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(ग) के अर्थान्तर्गत लोक सेवकों में भ्रष्टाचार की व्याप्ति अनुभव की गयी है;

और यतः, सरकार के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि बड़ी संख्या में उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने लोक पद धारण किये हैं या कर रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(ग) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक हैं, भ्रष्ट साधनों से विपुल सम्पत्ति अर्जित कर ली है जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं है;

और यतः, राज्य की यह बाध्यता है कि वह ऐसे भ्रष्ट आचरणों में संलिप्त व्यक्तियों को अभियोजित करे और उनकी गलत तरीकों से अर्जित आस्तियों का अधिहरण करे;

61(2) राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 11, 2012 भाग 4 (क)

और यतः, विशेष न्यायाधीशों के विद्यमान न्यायालयों से उन अभियोजनों से उद्भूत विचारणों के त्वरित निस्तारण की युक्तियुक्त अपेक्षा नहीं की जा सकती और संसदीय लोकतंत्र और भारत के संविधान द्वारा या उसके अधीन सृजित संस्थाओं के दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए यह अनिवार्य है कि उपर्युक्त अपराधियों का विचारण अधिकतम शीघ्रता से किया जाये;

और यतः, उक्त प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाये जिनकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाये जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हैं या रहे हैं और कुछ ऐसे प्रक्रियात्मक परिवर्तन करना भी समीचीन है जिनके द्वारा, विचारण किये जाने वाले व्यक्तियों के दोषी या निर्दोष होने के अंतिम अवधारण में एक निष्पक्ष विचारण के अधिकार में हस्तक्षेप किये बिना, परिहार्य विलंब को दूर किया जाये:

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

#### अध्याय 1

#### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.49) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से ऐसा कोई सेवारत अधिकारी अभिप्रेत है जो राजस्थान न्यायिक सेवा का है और जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश है या रहा है, जिसे धारा 3 के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय की सहमति से नामनिर्देशित किया गया है;

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 11, 2012 61(3)

- (ग) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) अभिप्रेत है;
- (घ) किसी अपराध के संबंध में "घोषणा" से, ऐसे अपराध के संबंध में धारा 5 के अधीन की गयी घोषणा अभिप्रेत है;
- (ङ) "अपराध" से ऐसा आपराधिक अवचार अभिप्रेत है जिस पर अधिनियम की धारा 13 (1) (ड) या तो स्वतंत्र रूप से या अधिनियम या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.45) के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के साथ संयुक्त रूप से लागू होती है;
- (च) "विशेष न्यायालय" से धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है; और
- (छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संहिता या अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके संहिता या अधिनियम में हैं।

## अध्याय 2

### विशेष न्यायालयों की स्थापना

3. विशेष न्यायालयों की स्थापना.- (1) राज्य सरकार, अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, इतने न्यायालय स्थापित करेगी जितने वह पर्याप्त समझे, जिन्हें विशेष न्यायालय के रूप में जाना जायेगा।

(2) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से नामनिर्देशित किये जाने वाले न्यायाधीश द्वारा की जायेगी।

(3) कोई भी व्यक्ति, विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह राजस्थान न्यायिक सेवा का सदस्य न हो और राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश न हो या नहीं रहा हो।

4. विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान.- विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान करेगा और उनका विचारण करेगा जो उसके

समक्ष सन्स्थित किये जायें या धारा 10 के अधीन उसको स्थानान्तरित किये जायें।

5. इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने वाले मामलों की घोषणा.- (1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे अपराध के कारित किये जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो, जो अभिकथित रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है जिसने राजस्थान राज्य में लोक पद धारण किया है या कर रहा है और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.49) की धारा 2 (ग) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक है, या रहा है तो राज्य सरकार, ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें उसकी पूर्वोक्त राय हो, इस प्रभाव की घोषणा करेगी।

(2) ऐसी घोषणा को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

6. घोषणा का प्रभाव.- (1) ऐसी घोषणा किये जाने पर, संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपराध के संबंध में कोई भी अभियोजन केवल विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जायेगा।

(2) जहां धारा 5 के अधीन की गयी कोई घोषणा उस अपराध के बारे में हो जिसके संबंध में पहले से ही अभियोजन संस्थित किया जा चुका हो और उसके संबंध में कार्यवाहियां इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित हों, वहां ऐसी कार्यवाहियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अनुसार अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी।

7. अपराधों के विचारण के संबंध में विशेष न्यायालय की अधिकारिता.- विशेष न्यायालय को उस अपराध के कारित किये जाने के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति का या तो मुख्य आरोपी, षडयंत्रकर्ता या दुष्प्ररेक के रूप में विचारण करने की अधिकारिता होगी, जिसके संबंध में धारा 5 के अधीन घोषणा की गयी है, और संहिता के अनुसार उन सभी का एक ही विचारण में संयुक्ततः विचारण किया जा सकता है।

8. विशेष न्यायालयों की शक्तियां और प्रक्रिया.- (1) विशेष न्यायालय, ऐसे मामलों के विचारण में, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, संहिता के और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.49) के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, विशेष न्यायालय की कार्यवाहियों पर लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए, विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जायेगा।

(3) विशेष न्यायालय, उसके द्वारा दोषसिद्ध किये गये ऐसे किसी भी व्यक्ति पर, उस अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराया गया है, के दंड के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश पारित कर सकेगा।

9. विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील.- (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय और दण्डादेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में तथ्यों और विधि दोनों पर अपील होगी।

(2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश की किसी भी न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण नहीं होगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, विशेष न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर की जायेगी:

परन्तु उच्च न्यायालय तीस दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, उसका यह समाधान हो जाता है कि निर्धारित कालावधि के भीतर अपील नहीं करने का अपीलार्थी के पास पर्याप्त कारण था।

10. मामलों का स्थानान्तरण.- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के होते हुए भी, राजस्थान उच्च न्यायालय, मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकेगा।

11. किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना.- (1) विशेष न्यायालय, किसी विचारण को, किसी भी प्रयोजन के लिए तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक कि, उसकी राय में न्याय के हित में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसा स्थगन आवश्यक न हो।

(2) विशेष न्यायालय, मामले के विचारण को, उसके संस्थित या, यथास्थिति, स्थानांतरित किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर निपटाने का प्रयास करेगा।

12. पीठासीन न्यायाधीश उसके पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकेगा.- विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई न्यायाधीश, भागतः उसके पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा और भागतः स्वयं उसके द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकेगा।

### अध्याय 3

#### संपत्ति का अधिहरण

13. संपत्ति का अधिहरण.- (1) जहां राज्य सरकार के पास प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसने लोक पद धारण किया है या धारण कर रहा है और लोक सेवक है या रहा है, अपराध कारित किया है, वहां राज्य सरकार, चाहे विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान किया हो या न किया हो, ऐसे धन और अन्य सम्पत्ति, जिसके बारे में राज्य सरकार यह विश्वास करती है कि वह उक्त व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से उपाप्त की है, के इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करने के लिए लोक अभियोजक को प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन,-

(क) के साथ एक या अधिक शपथ-पत्र होंगे, जिनमें उन आधारों का, जिन पर यह विश्वास आधारित हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और उस धन की रकम और अन्य संपत्ति का प्राक्कलित मूल्य, जिसके लिए यह विश्वास किया गया हो कि उसे अपराध के माध्यम से उपाप्त किया गया है, उल्लेख होगा; और

(ख) उसमें ऐसे किसी धन और अन्य संपत्ति की तत्समय अवस्थिति के बारे में उपलब्ध कोई सूचना भी अन्तर्विष्ट होगी और यदि आवश्यक हो तो, इस संदर्भ में सुसंगत समझी गयी अन्य विशिष्टियां भी दी जायेंगी।

14. अधिहरण के लिए नोटिस.- (1) इस अधिनियम की धारा 13 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी, उस व्यक्ति को, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है (जिसे इसके पश्चात् प्रभावित व्यक्ति कहा गया है), ऐसे समय के भीतर-भीतर, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, जो सामान्यतया तीस दिवस से कम नहीं होगा, उसकी आय, उपार्जन या आस्तियों का वह स्रोत दर्शित करने के लिए, जिससे या जिसके माध्यम से उसने ऐसा धन या सम्पत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है, और अन्य सुसंगत सूचना और विशिष्टियां उपदर्शित करने के लिए, और यह हेतुक दर्शित करने के लिए कि ऐसे संपूर्ण या किसी धन या संपत्ति या दोनों को, उस अपराध के माध्यम से अर्जित किया हुआ क्यों नहीं घोषित किया जाये और राज्य सरकार द्वारा अधिहृत किया जाये, नोटिस देकर बुलायेगा।

(2) जहां, उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दिये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट किये गये किसी धन या संपत्ति या दोनों को ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा धारित किया गया हो, वहां उस नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जायेगी।

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रभावित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य, सूचना और विशिष्टियों का विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खण्डन किया जा सकेगा:

परन्तु ऐसा खण्डन, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के दोष के अवधारण और न्याय-निर्णयन तक सीमित रहेगा।

15. कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण.- (1) प्राधिकृत अधिकारी, धारा 14 के अधीन जारी हेतुक दर्शित करने के लिए नोटिस का स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और प्रभावित व्यक्ति को (और ऐसे मामलों में जहां, प्रभावित व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई धन या सम्पत्ति किसी

दूसरे व्यक्ति के माध्यम से धारण करता है तो ऐसे दूसरे व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत संपूर्ण या कोई अन्य धन या सम्पत्तियाँ अवैध रूप से अर्जित की गयी हैं।

(2) जहाँ प्राधिकृत अधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता है कि हेतुक दर्शित करने के लिए नोटिस में निर्दिष्ट धन या संपत्ति या दोनों में से किसी को अपराध के माध्यम से अर्जित किया गया है किन्तु वह ऐसे धन या संपत्ति को विनिर्दिष्टतः चिह्नित करने में असमर्थ हो, वहाँ प्राधिकृत अधिकारी के लिए, अपने सर्वोत्तम विवेक से, यह विनिर्दिष्ट करना विधिपूर्ण होगा कि वह धन या संपत्ति या दोनों उस अपराध के माध्यम से अर्जित किये गये हैं और तदनुसार उप-धारा (1) के अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(3) जहाँ प्राधिकृत अधिकारी इस धारा के अधीन इस प्रभाव का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई धन या संपत्ति या दोनों को अपराध के माध्यम से अर्जित किया गया है, वहाँ वह यह घोषित करेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसा धन या संपत्ति या, दोनों सभी विल्लंगनों से मुक्त रूप में, राज्य सरकार को अधिहृत हो जायेंगे:

परन्तु यदि प्राधिकृत अधिकारी को, अधिहृत संपत्ति का बाजार मूल्य जमा करवा दिया गया है तो वह संपत्ति अधिहृत नहीं की जायेगी।

(4) जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी का कोई शेयर राज्य सरकार को अधिहृत होता है, तो वह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) में या कंपनी के संगम अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को, ऐसे शेयर के अंतरिती के रूप में तत्काल रजिस्टर करेगी।

(5) इस अध्याय के अधीन धन या संपत्ति या दोनों के अधिहरण की प्रत्येक कार्यवाही का निपटारा धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तारीख की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा।

(6) इस धारा के अधीन पारित किया गया अधिहरण का आदेश, धारा 17 के अधीन अपील में पारित आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन



रहते हुए, अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

16. अंतरण का अकृत और शून्य होना.- जहां धारा 14 के अधीन किसी नोटिस के जारी होने के पश्चात्, उक्त नोटिस में निर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति या दोनों किसी भी ढंग से अंतरित किये जाते हैं, वहां ऐसा अन्तरण, इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए शून्य होगा और यदि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों धारा 15 के अधीन राज्य सरकार को पश्चात्तवर्ती रूप से अधिहृत हो गयी हैं तो ऐसे धन या संपत्ति या दोनों का अंतरण अकृत और शून्य समझा जायेगा।

17. अपील.- (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी भी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, के पारित किये जाने की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई अपील किये जाने पर उच्च न्यायालय, ऐसे पक्षकारों को, जिन्हें वह उचित समझे, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(3) उप-धारा (1) के अधीन की गयी कोई अपील, अपील किये जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर अधिमानतः निपटायी जायेगी और ऐसी किसी अपील में पारित किया गया कोई रोक आदेश, यदि कोई हो, अपील के निपटारे के लिए विहित कालावधि के बाद प्रवृत्त नहीं रहेगा।

18. कब्जा लेने की शक्ति.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई धन या संपत्ति या दोनों राज्य सरकार को अधिहृत किये गये हैं, वहां संबंधित प्राधिकृत अधिकारी, प्रभावित व्यक्ति को, साथ ही साथ ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में धन या संपत्ति या दोनों हों, आदेश की तारीख की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उसका कब्जा अभ्यर्पित या परिदत्त करने का आदेश देगा:

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी, इस निमित्त कोई आवेदन किये जाने पर और यह समाधान हो जाने पर कि प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत संपत्ति

में निवास कर रहा है, उसे उससे तुरंत बेकब्जा करने के बजाय, ऐसे व्यक्ति को, विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमित कालावधि के लिए, राज्य सरकार को बाजार दूर पर किराया संदत्त करने पर, उस संपत्ति का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, और तत्पश्चात्, ऐसा व्यक्ति संपत्ति का कब्जा सौंप देगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश का पालन करने से इंकार करता है तो प्राधिकृत अधिकारी, संपत्ति का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए, इतना बल प्रयोग कर सकेगा, जो आवश्यक हो।

(3) उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी धन या संपत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए, सहायता करने के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अध्यक्षता कर सकेगा और ऐसी अध्यक्षता का पालन करना उस पुलिस अधिकारी का आबद्धकारी कर्तव्य होगा।

19. अधिहृत धन या संपत्ति का प्रतिदाय:- जहां धारा 15 के अधीन दिये गये अधिहरण के किसी आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपील में उपांतरित या बातिल किया जाता है या जहां प्रभावित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जाता है, वहां प्रभावित व्यक्ति को धन या सम्पत्ति या दोनों लौटा दी जायेगी और यदि किसी भी कारण से संपत्ति लौटायी जानी संभव न हो तो, ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार अधिहृत धन पर, अधिहरण की तारीख से पांच प्रतिशत वार्षिक की दर से संगणित ब्याज सम्मिलित करते हुए, संपत्ति का बाजार मूल्य संदत्त किया जायेगा।

#### अध्याय 4

#### विविध

20. विवरण में गलती के कारण नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना:- इस अधिनियम के अधीन जारी या तामील किया गया कोई भी नोटिस, की गयी कोई भी घोषणा और पारित किया गया कोई भी आदेश, उसमें उल्लिखित संपत्ति या व्यक्ति के विवरण में किसी गलती के कारण अविधिमान्य नहीं माना जायेगा, यदि इस प्रकार उल्लिखित विवरण से ऐसी संपत्ति या व्यक्ति की पहचान की जा सके।

21. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में, और इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात से, किसी लोक सेवक को ऐसी किसी कार्यवाही से, जो इस अधिनियम के अलावा उसके विरुद्ध संस्थित की जा सकती है, छूट प्राप्त नहीं होगी।

22. अन्य कार्यवाहियों का वर्जन.- धारा 9 और 17 में यथा उपबंधित के सिवाय और किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 15 के अधीन आदेश से अधिहृत किये जाने वाले किसी धन या संपत्ति या दोनों के संबंध में, किसी भी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां पोषणीय नहीं होंगी।

23. सदभावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण.- इस अधिनियम के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गयी या की जाने की लिए आश्रित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

24. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

25. धारा 3 के अधीन अधिसूचनाओं और धारा 5 के अधीन घोषणाओं का रखा जाना.- धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की

61(12) राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 11, 2012 भाग 4 (क)

गयी प्रत्येक अधिसूचना और धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन की गयी प्रत्येक घोषणा उनके जारी होने या किये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जायेंगी।

26. अध्यारोही प्रभाव.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.49) और दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी असंगतता की स्थिति में इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)  
NOTIFICATION**

**Jaipur, December 11, 2012**

No. F. 2 (22) Vidhi/2/2012.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vishes Nyayalaya Adhinyam, 2012 (2012 Ka Adhinyam Sankhyank 38):-

**(Authorised English Translation)**

**THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS ACT, 2012  
(Act No. 38 of 2012)**

[Received the assent of the President on the 3<sup>rd</sup> day of December, 2012]

*An*

*Act*

*to provide for the constitution of Special Courts for the speedy trial of certain class of offences and for confiscation of the properties involved.*

Whereas corruption is perceived to be amongst the persons holding public offices and public servants within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the State of Rajasthan;

And whereas the Government has sufficient reasons to believe that large number of persons, who have held or are holding public offices and are public servants within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 have accumulated vast property, disproportionate to their known sources of income by resorting to corrupt means;

And whereas it is obligation of the State to prosecute persons involved in such corrupt practices and confiscate their ill gotten assets;

And whereas the existing Courts of Special Judges cannot reasonably be expected to bring the trials, arising out of those prosecutions, to a speedy termination and it is imperative for the efficient functioning of a parliamentary democracy and the institutions created by or under the Constitution of India that the aforesaid offenders should be tried with utmost dispatch;

And whereas it is necessary for the said purpose to establish Special Courts to be presided over by the persons who are or have been Sessions Judges or Additional Sessions Judges and it is also expedient to make some procedural changes whereby avoidable delay in the final determination of the guilt or innocence, of the persons to be tried, is eliminated without interfering with the right to a fair trial;

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

## CHAPTER- I

### Preliminary

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) This Act may be called the Rajasthan Special Courts Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

56

2. **Definitions.**-In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means Prevention of Corruption Act, 1988(Central Act No. 49 of 1988);
- (b) "authorized officer" means any serving officer belonging to Rajasthan Judicial Service and who is or has been Sessions Judge or Additional Sessions Judge, nominated by the State Government with the concurrence of the High Court for the purpose of section 3;
- (c) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974);
- (d) "Declaration" in relation to an offence, means a declaration made under section 5 in respect of such offence;
- (e) "offence" means an offence of criminal misconduct which attracts application of section 13(1) (e) of the Act either independently or in combination with any other provision of the Act or any of the provision of Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860);
- (f) "Special Court" means a Special Court established under section 3; and
- (g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Code or the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Code or the Act.

## CHAPTER- II

### Establishment of Special Courts

3. **Establishment of Special Courts.**- (1) The State Government shall, for the purpose of speedy trial of offence, by notification, establish as many Courts as considered adequate to be called Special Courts.

(2) A Special Court shall be presided over by a Judge to be nominated by the State Government with the concurrence of the Rajasthan High Court.

(3) No person shall be qualified for nomination as a Judge of a Special Court unless he is a member of Rajasthan Judicial Service and is or has been a Sessions Judge or Additional Sessions Judge in the State.

**4. Cognizance of cases by Special Courts.**— A Special Court shall take cognizance of and try such cases as are instituted before it or transferred to it under section 10.

**5. Declaration of cases to be dealt with under this Act.**—

(1) If the State Government is of the opinion that there is *prima facie* evidence of the commission of an offence alleged to have been committed by a person, who has held or is holding public office and is or has been public servant within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act No. 49 of 1988) in the State of Rajasthan, the State Government shall make a declaration to that effect in every case in which it is of the aforesaid opinion.

(2) Such declaration shall not be called in question in any Court.

**6. Effect of declaration.**— (1) On such declaration being made, notwithstanding anything in the Code or any other law for the time being in force, any prosecution in respect of the offence shall be instituted only in a Special Court.

(2) Where any declaration made under section 5 relates to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted and the proceedings in relation thereto are pending in a Court other than Special Court under this Act, such proceedings shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, stand transferred to Special Court for trial of the offence in accordance with this Act.

**7. Jurisdiction of Special Court as to trial of offences.**— A Special Court shall have jurisdiction to try any person alleged to have committed the offence in respect of which a declaration has